रजिस्ट्री सं० डीण्एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 494] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 1997/अग्रहायण 25, 1919
No. 494] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 1997/AGRAHAYANA 25, 1919

9/3/98

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1997

सा. का. नि. 704(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम यात्री (नाम परिवर्तन) संशोधित नियम, 1997 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. यात्री (नाम परिवर्तन) नियम, 1990 के नियम 3 के, उप नियम (2) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"(ङ) जहां यात्री राष्ट्राय कैडेट कोर का समूह है और कोई ऐसा अधिकारी, जो समूह का प्रधान है गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व किसी कैडेट के नाम आरक्षण को अन्य कैडेट के नाम में परिवर्तन करने का लिखित में निवेदन करता है।

परन्तु परिवर्तन के लिए कोई ऐसा अनुरोध केवल एक बार मंजूर किया जाएगा।

परन्तु यह और कि किसी भी दशा में समूह की कुल संख्या के दस प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए उक्त अनुरोध मंजूर नहीं किया जाएगा।"

[सं. 97/टी.जी.-1/20/पी]

डी. पी. त्रिपाठी, सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल नियम दिनांक 16 अगस्त, 1990 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 708 (ई) के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1997

G.S.R. 704(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of the section 60 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (i) These rules may be called the Passengers (Change of Names) Amendment Rules, 1997.

(ii) The shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. In rule 3 of the Passengers (Change of Names) Rules, 1990, in sub-rule (2), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely :—

"(e) Where the passengers are a group of Cadets of National Cadet Corps and any officer who is the Head of the group makes a request in writing at least twenty four hours before the scheduled departure of the train that the reservation made in the name of any cadet be transferred to any other cadet;

Provided that any such request for change shall be granted only once;

Provided further that in no case such request for change in excess of ten per cent of the total strength of the group shall be granted".

[No. 97/TG.1/20/P]

D. P. TRIPATHI, Secy.

Foot Note.—The Principal rules were published in the Gazette of India vide Notification No. G.S.R. 708 (E) dated the 16th August, 1990.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997